विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 4 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–15/2012.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक–25) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ ई–राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2012 का विधेयक संख्यांक 25

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखत रूप में यह अधिनियमित होः––

1. संक्षिप्त नाम.–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़को का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2012 है।

2. धारा 2 का संशोधन.–शिमला की सड़को का उपयोग करने वालो तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 की धारा 2 की उपधारा (I) के खण्ड (ण) के उपखण्ड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (IX) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः––

"(ix) कोई अन्य यान जिसे राज्य सरकार द्वारा लोकाहित में, कारणों को लिखित में अभिलिखित कर के, लोकोपयोगी यान घोषित किया जाए ।"।

3. **धारा 18 का प्रतिस्थापन.**—मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:——

> "18 **शिथिल करने की शक्ति** :——राज्य सरकार, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को, व्यक्तियों के किसी भी वर्ग के लिए या अनुसूची 1, 2 में किसी सड़क और "कोर माल रोड" की बाबत, लोकहित में शिथिल कर सकेगी। "।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिमला माल रोड़ की पहचान को वापस लौटाने के लिए, आम रास्ते के रूप में इसका उपयोग रोकने के आशय से तथा शिमला नगर की सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में यातायात का विनियमन करने के लिए वर्ष 2007 में शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात्, स्थानीय प्रशासन को, गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस और अन्य समारोहों को मनाने, छायाचित्रण (शूटिंग) इत्यादि के लिए कोर माल रोड पर यानों को अपेक्षित अनुज्ञा देने में कठिनाईयों का अनुभव हुआ है और उन्होंने अनुरोध किया है कि अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके कुछ शिथिलता प्रदान की जाए ताकि सरकार ऐसी परिस्थितियों से निपट सके । इस मामले पर विचार किया गया है और राज्य सरकार को किसी भी यान को कारणों को अभिलिखित करके लोकोपयोगी यान घोषित करने हेतू सशक्त करने के लिए धारा 2(1) के खण्ड (ण) में एक नया उप खण्ड जोड़ने तथा व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए या अनुसूची –1, अनुसूची–2 में किसी सड़क और कोर माल रोड़ की बाबत अधिनियम के किन्ही उपबंधों को शिथिल करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करते हुए धारा 18 के विस्तार को लोक हित में विस्तारित करने का विनिश्चय किया गया है। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्यमन्त्री ।

शिमला :
तारीखः......................., 2012.

वित्तीय ज्ञापन

शून्य

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

शून्य

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 25 OF 2012

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (Act No. 2 of 2008).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Amendment Act, 2012.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub- section (1), in clause (o), after sub-clause (viii), the following new sub-clause (ix) shall be inserted, namely:—

> "(ix) Any other vehicle as may be declared as public utility vehicle by the State Government in public interest, for the reasons to be recorded in writing.".

3. Substitution of section 18.—For section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

> **"18. Power to relax.**—The State Government may, in the public interest, relax any of the provisions of this Act, for any class of persons or in respect of any road in Scheduled-I, II and "Core Mall Road", for reasons to be recorded in writing.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to restore the sanctity of the Shimla Mall Road by preventing its use as a thoroughfare and to regulate traffic in the interest of public safety and convenience on sealed and restricted roads of Shimla Town, the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2007 was enacted in 2007. After the enforcement of the Act, the local administration has experienced difficulties in allowing vehicles required for celebration of Republic Day, Independence Day and other functions, shooting etc. on the Core Mall Road and has requested that some relaxation may be provided by making necessary amendments in the Act, so that the Government may be in a position to deal with such situations. The matter has been considered and it has been decided to empower the State Government to declare any vehicle to be a public utility vehicle in public interest for the reasons to be recorded in writing and enlarge the scope of section 18, to empowering the State Government also to relax any of the

provisions of the Act in respect of the Core Mall Road in public interest. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla:
The__________, 2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLASTION

—Nil—